

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 2/2023

निर्णय दिनांक :- 30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जयें तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

1. भरतराज पुत्र मिश्रीलाल जाति तेली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. ललता उर्फ विमला पुत्री मिश्रीलाल जाति तेली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. आरामी देवी पुत्री मिश्रीलाल जाति तेली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. विमला देवी पुत्री मिश्रीलाल जाति तेली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. शिमला देवी पुत्री मिश्रीलाल जाति तेली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.

-अप्रार्थी गण-

उपस्थिति :-
पेरोकार सरकार

इकबालिया जवाब
अप्रार्थी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही
विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी मिश्रीलाल पुत्र सुखदेव तेली को दिनांक 06.01.1971 को ग्राम थांवला में खसरा नम्बर 1551/3 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 3762 रकबा 0.56 है0 दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन ग्राम पृथक होने से ख. नं. 3762 रकबा 0.56 है0 से नये हाल ख. नं 3190 रकबा 0.56 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम थांवला खसरा नम्बर 3190 रकबा 0.56 है0 मे से रकबा 0.50 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 3360/3190 रकबा 0.06 किस्म बरानी तृतीय गैर खातेदार भरतराज, ललता विमलादेवी पिता मिश्रीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आवंटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर

B. D.

दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 में अंकित भूमि में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर आदेशिका पर लिखा कि हमें कोई आपति नहीं है।


अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण पंजिका ग्राम थांवला के कॉलम संख्या 11 व 12, 14 में मिश्रीलाल पुत्र सुखदेव कोम तेली सा. देह गेर खातेदार ख. नं. 1531/3 रकबा 2 बीघा राजस्व अभियान दिनांक 06.01.71 की मिटिंग में आवंटन हुआ। बाद भू-प्रबन्ध ख. नं. 1531/3 में क्षेत्रफल 2 बीघा के नये ख. नं. 3762 रकबा 0.56 है० बनाये गये। ग्राम थांवला के नवीन ग्राम पृथक होने से ख. नं. 3762 रकबा 0.56 है० से नवीन हाल ख. नं. 3190 रकबा 0.56 है० बनाये गये। जबकि 2 बीघा का है० में परिवर्तन करने पर 0.50 है० होते है अर्थात् अप्रार्थीगण के खाते में 0.50 है० के स्थान पर 0.56 है० भूमि लगा दी गई, जो कि 0.06 है० अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. थांवला के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पर ख. नं. 3190 के नये ख. नं. 3359/3190 रकबा 0.50 है० व ख. नं. 3360/3190 रकबा 0.06 है० बनाकर अप्रार्थीगण जो आवंटी मिश्रीलाल पुत्र सुखदेवी जाति तेली के जायज कायम मुकामान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है, को ख. नं. 3359/3190 रकबा 0.50 है० के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 3360/3190 रकबा 0.06 है० भूमि आवंटन से 0.06 है० अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3360/3190 रकबा 0.06 है० भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अप्रार्थी भरतराज ने प्रार्थना पत्र बाबत कोई आपति नहीं है, आदेशिका पर लिखा। अतः राजस्व दस्तावेजों का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3360/3190 रकबा 0.06 है० भूमि वाके ग्राम थांवला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थी का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली